न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :– 17 / 2021 (2021 / 35)

प्रार्थीगण

1. सगताराम उर्फ शक्तिराम पुत्र बींजाराम दर्जी, उम्र 74 वर्ष, निवासी कुई जोधा, ग्राम पंचायत कुई ईन्दा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. घेवरराम पुत्र पुरखाराम दर्जी, उम्र 45 वर्ष, निवासी कुई जोधा, ग्राम पंचायत कुई ईन्दा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत कुई ईन्दा सरपंच ग्राम पंचायत तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. भीखाराम पुत्र आईदानराम दर्जी, निवासी ग्राम कुई जोधा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पंचायत निर्णय दिनांक 20.12.2010 बअन्तर्गत मिसल संख्या 128 / 2010 उसके अनुसरण में जारी करने पट्टा संख्या 1773 दिनांक 20.12.2010 ग्राम पंचायत कुई ईन्दा पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर।

उपस्थिति

1. अधिवक्ता श्री रिड़मलखां मेहर (प्रार्थीगण)।
2. अधिवक्ता श्री करणसिंह (अप्रार्थी संख्या 01)
3. अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति (अप्रार्थी संख्या 02)।

आदेश **दिनांक :–13.02.2023**

प्रार्थीगण द्वारा यह पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 पट्टा विलेख संख्या 1773 मिसल संख्या 128 / 2010 दिनांक 20.12.2010 को ग्राम पंचायत कुई ईन्दा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया, के विरुद्ध पेश की गई है, निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत कुई ईन्दा से मूल अभिलेख भी तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री करणसिंह तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति ने वकालतनामा पेश किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:52:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के हक में जैर निगरानी आदेश दिनांक 20.12.2010 पंचायत राज नियमों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है क्योंकि उक्त भूखण्ड आबादी भूमि में स्थित नहीं होकर राजकीय भूमि में स्थित है । निर्णय दिनांक 20.12.2010 पारित करने से पूर्व मिसल को ग्राम पंचायत की साधारण सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पंचायत की साधारण सभा के किसी प्रस्ताव के बिना ही निगरानीधीन पट्टा जारी कर दिया। कानूनन नियम 157 के तहत पंचायत की साधारण सभा द्वारा नियमन का निर्णय किया जाना आवश्यक है, जबकि हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी आदेश बाले बाले पंचायत के निर्णय की बैठक के बिना ही पारित किया गया है। ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल मिसल के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अपनी कब्जा शुदा भूमि का पट्टा जारी करने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है जबकि अप्रार्थी संख्या 02 के नाम पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 01 मिसल संख्या 1/1999–2000 दिनांक 14.12.1999 को जारी सुदा है।

प्रार्थीपक्ष ने बहस में आगे बतलाया कि राजस्थान पंचायतीरज अधिनियम 1994 के नियम 157 के तहत पुराने निर्मित मकानों का ही नियमन किया जा सकता है परन्तु मिसल के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नियमन सुदा भूमि पर मकान बने होने का कोई उल्लेख नहीं है बल्कि खाली भूमि का नियमन किया गया है जो कि पूर्णतया नियमों के विरुद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा जो कार्यवाही अमल में लाई गई है उसके तहत मिसल कायम करने से पूर्व व दौराने कार्यवाही मिसल को कभी भी साधारण सभा के समक्ष नहीं रखा गया। मिसल के साथ जो नक्शा बना हुआ है उस नक्शे पर ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है, इस प्रकार से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने मनमर्जी से नक्शा बनाया है, साथ ही उस पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के हस्ताक्षर भी नहीं है। नियम 146(3) के तहत जो निरीक्षण का प्रपत्र तैयार किया गया है वह भी फर्जी है क्योंकि निरीक्षण कमेटी के जिन सदस्यों के हस्ताक्षर किए गये हैं उस कमेटी का गठन ग्राम पंचायत की साधारण सभा द्वारा नहीं किया गया है। नियम 148 के तहत जो आपति इश्तिहार जारी किया गया है उसमे मिसल संख्या व भूमि की स्थिति को प्रकट ही नहीं किया गया। निरीक्षण के प्रपत्र में भूमि का स्थान नहीं बताया गया है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत व अप्रार्थी संख्या 02 ने मिलकर सम्पूर्ण फर्जीवाड़ा किया है। इससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी आदेश में वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या 02 की पुश्तैनी भूमि नहीं है एवं ना ही अप्रार्थी संख्या 02 का गत 40 वर्षो से कोई निर्माण किया हुआ है इसलिए उक्त उपरोक्त भूमि का विक्रय नियम 157 के तहत नहीं हो सकता बल्कि निलाम ही किया जा सकता था। जैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:52:28 IST
Reason: SelfAttested

निगरानी आदेश में वर्णित भूमि बेशकीमती है परन्तु ग्राम पंचायत ने नियमों के विपरीत जाकर नियम 157 के तहत नियमन किया है जिससे राजस्व में भारी नुकसान हुआ, वादगगस्त भूखण्ड नियम 154, 156 व 159 के तहत ही विक्रय हो सकता था परन्तु ग्राम पंचायत व अप्रार्थी ने मिलावट करके अप्रार्थी संख्या 02 के हक नियम 157 के तहत नियमन किया है, जो पूर्णतया विधि विरुद्ध है। ग्राम पंचायत ने पंचायतराज नियमों का उल्लंघन करते हुए नियम 157 ख के तहत 200/– अक्षरे रुपये दो सौ मात्र की रसीद के एवज मे पट्टा जारी किया है, जबकि मौके पर किसी प्रकार का निर्माण पुराना या नया नहीं था एवं न ही रेस्पोडेन्ट का कभी उक्त भूमि पर कब्जा रहा है इसलिए पट्टा प्रस्ताव व मिसल कार्यवाही काबिले निरस्त योग्य है।

प्रार्थीपक्ष अधिवक्ता ने बहस के अन्त में बतलाया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि क्षेत्राधिकार विहिन एवं ऐब इनिसियो वॉईड दस्तावेज को निरस्त करने एवं चुनौती देने के लिए किसी भी प्रकार की मियाद निर्धारित नहीं की जा सकती है। प्रार्थीगण/निगरानीकार व्यथित पक्षकार है एवं उक्त पट्टा जारी करने से प्रार्थीगण को अपने मकान में आने–जाने में व्यवधान उत्पन्न हो गए है। वादग्रस्त भूमि नजुल भूमि है जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 का कोई अधिकार नहीं है। निगरानी स्वीकार कर जैर निगरानी आदेश 20.12.2010 मिसल संख्या 100/2010 व 128/2010 द्वारा ग्राम पंचायत कुई ईन्दा पंचायत समिति बालेसर एवं समस्त कार्यवाही जिसके अनुसार पट्टा संख्या 1753 व 1773 जारी किया गया, को निरस्त करने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि प्रार्थी द्वारा बिना किसी लोकस के निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीगण पारिवारिक लड़ाई को आधार बनाकर विधि विरूद्ध निगरानी पेश की है। प्रार्थी को विधिक रूप से निगरानी पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी को निगरानीधीन पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है। अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार ग्राम पंचायत में आवेदन पेश किया गया तथा ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गए है जिससे साबित होता हो कि निगरानीधीन पट्टा आबादी भूमि में जारी नहीं किया जाकर राजकीय भूमि में जारी किया गया हो। ग्राम पंचायत द्वारा संधारित मिसल से स्पष्ट है कि निगरानीधीन पट्टा आबादी भूमि में जारी किया गया है तथा मौके पर अप्रार्थी का पक्का मकान वर्षों से बना हुआ है तथा अप्रार्थी का कब्जा शुरू से चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की पंचायत निगरानी निरस्त योग्य है।

अप्रार्थी सख्ंया 02 ने बहस में आगे बतलाया कि जहां तक निगरानीधीन पट्टा विलेखों का प्रश्न है उसी पट्टा बुक में ग्राम पंचायत द्वारा समान प्रक्रिया अपनाते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:52:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी संख्या 02 घेवरराम पुत्र पुरखाराम को पट्टा संख्या 1794 दिनांक 05.02.2013 को जारी किया गया है। इससे स्पष्ट है कि व्यक्तिगत द्वेषता में निगरानी पेश की है। साथ ही प्रार्थीगण ने एक ही पंचायत निगरानी के द्वारा मिसल संख्या 100/2010 व मिसल संख्या 128/2010 के अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 1753 व 1773 को निरस्त करने की प्रार्थना की है जबकि विधिक रूप से एक अपील/निगरानी के माध्यम से किसी एक आदेश को ही चुनौती दी जा सकती है। दो अलग–अलग आदेशों अथवा पट्टा विलेखों की एक ही निगरानी पोषणीय नहीं है। उक्त निगरानी में पट्टा संख्या 1753 व पट्टा संख्या 1773 को एक साथ चुनौती दी है जबकि दोनों के लिए अलग–अलग मिसल कायम हुई है तथा भिन्न–भिन्न आदेश व प्रक्रिया अपनाकर पट्टे जारी किए गए है। प्रार्थी द्वारा निगरानीधीन पट्टा संख्या 1753 जो अशोक कुमार पुत्र भीखाराम दर्जी को जारी किया गया है को निरस्त करने लिए पंचायत निगरानी पेश की गई है लेकिन प्रार्थी द्वारा अशोक कुमार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इन परिस्थितियों में दो अलग–अलग आदेशों की एक निगरानी कानूनी रूप से पोषणीय नहीं होने तथा निगराधीन पट्टा जिसे जारी किया गया है उसे पक्षकार नहीं बनाने से पंचायत निगरानी खारिज योग्य है।

जहां तक प्रस्ताव का सवाल है मिसल का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.09.2010 को पट्टा जारी करने हेतु प्रस्ताव लिया गया। मिसल में मौके की रिपोर्ट, बयानात् एवं आपत्ति की विधिक कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है तथा जिस भू–भाग का पट्टा जारी किया गया है वो स्वीकृत रूप से आबादी भूमि है। पट्टे की प्रक्रिया में ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर है तथा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे मौके पर भूमि खाली होने का प्रमाण हो या रास्ते की भूमि हो। अप्राथी का मौके पर मकान बना हुआ है। इस कारण मात्र हठधर्मिता से प्रस्तुत निगरानी के आधार पर पट्टा खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण ने यह निगरानी बेवजह अप्रार्थी को तंग एवं परेशान करने की नियत से पेश की है जो निरस्त योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने निरन्तर बहस में बतलाया कि जहां तक कानूनन स्थिति है निगरानी में न्यायालय को अधीनस्थ पंचायत राज संस्था के किसी संकल्प या आदेश की वैधानिकता एवं औचित्य का परीक्षण करना है उसके लिए प्रस्तुत मिसल एवं प्रक्रिया को देखे तो उसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता या अनियमितता नही है। प्रार्थीगण ने काल्पनिक कथनों के आधार पर उक्त निगरानी पेश की है जो खारिज योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:52:28 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थीगण ने एक ही पंचायत निगरानी के द्वारा मिसल संख्या 100/2010 व मिसल संख्या 128/2010 के अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 1753 व 1773 को निरस्त करने करने के लिए पंचायत निगरानी पेश की है जबकि निगरानीधीन पट्टा संख्या 1753 जो अशोक कुमार पुत्र भीखाराम दर्जी को जारी किया गया है को पंचायत निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया गया है अतः निगरानीधीन पट्टा संख्या 1753 जो अशोक कुमार को जारी किया गया, को निरस्त करना न्यायोचित नहीं है। द्वितीयतः प्रार्थीगण ने पट्टा संख्या 1773 मिसल संख्या 128/2010 जो दिनांक 20.12.2010 को ग्राम पंचायत कुई ईन्दा द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 भीखाराम पुत्र आईदानराम दर्जी को जारी किया गया, को चुनौती दी है। ग्राम पंचायत से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.09.2010 को पट्टा जारी करने हेतु प्रस्ताव लिया गया। उसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी करने के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव साधारण सभा में नहीं लिया गया और निगरानीधीन पट्टा जारी कर दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियमों की अवहेलना की गई। उपरोक्त विवेचनानुसार ग्राम पंचायत कुई ईन्दा द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 भीखाराम पुत्र आईदानराम दर्जी निवासी ग्राम कुई जोधा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर को जारी पट्टा संख्या 1773 मिसल संख्या 128/2010 जारी दिनांक 20.12.2010 निरस्त योग्य है, परिणामस्वरूपः पंचायत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा आलौच्य पट्टा संख्या 1773 निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय को विधि अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख पुनः भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:52:28 IST
Reason: SelfAttested